भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3138

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु धनराशि

†3138. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) निधि पूर्ण बकाया राशि के साथ केरल राज्य को जारी करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने केंद्र-प्रायोजित योजनाओं की ब्रांडिंग के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनएचएम की ब्रांडिंग के उद्देश्यों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश भर के सभी राज्यों ने ब्रांडिंग संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है और यदि हां, तो केरल सहित तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल सरकार ने उक्त निधि जारी करने में देरी के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई रिपोर्ट भेजी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार और स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्यढांचे के अनुसार भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करते हैं, जो राज्यों द्वारा खंड 10.3 और 10.10 के अनुसार एनएचएम के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए अधिदेशित करता है।

केरल राज्य सरकार ने दिनांक 26 जून 2024 के पत्र द्वारा सूचित किया कि केरल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का आदेश जारी किया है। इनके अनुपालन की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 913.24 करोड़ रुपये के आवंटन में से 702.63 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

******